*आर्थिक बहाली का स्वरूप**

शक्तिकांत दास

मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग एंड इकॉनामिक्स कॉनक्लेव में एक बार फिर आकर खुशी हो रही है। इस गरिमापूर्ण सभा को संबोधित करने हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं एसबीआई के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। इस वर्ष के कॉनक्लेव का विषय 'कोविडोत्तर विश्व में आर्थिक बहाली का परिदृश्य' समसामयिक और प्रासंगिक-दोनों है। समसामयिक इसलिए कि इतनी जद्दोजहद और परेशानियों का सामना करने के पश्चात, संभव है कि हम कोविडोत्तर विश्व के द्वार पर दस्तक दे रहे हों। प्रासंगिक इसलिए क्योंकि इतने व्यापक पैमाने का संकट न केवल अर्थव्यवस्था को बल्कि आर्थिक बहाली के स्वरूप को भी पुनः आकार प्रदान करेगा। उम्मीद है, हमारे जीवनकाल में और यहाँ तक कि भविष्य की पीढ़ियों में भी, हम कोविड-19 से ज्यादा बड़े संकट का सामना नहीं करेंगे। इसलिए, किसी संकट से कुछ सीखने का मौका नहीं गँवाने वाली भावना से, हमें महामारी के अनुभवों से सीखते हुए, ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा अघात-सह अर्थव्यवस्था बनानी है। आज मैं अपने संबोधन में कॉनक्लेव के विषय पर चर्चा करूंगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा पिछले दो वर्षों से कोविड-19 का बंधक बना हुआ है। विषाणु की गिरफ्त से मानवता और इसके साथ-साथ अर्थव्यवस्थाओं को भी बचाने के लिए, वैक्सीन तक तीव्रतर और समानतापूर्ण पहुँच ही एकमात्र आशा रही है। इस मोर्चे पर भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं और प्रौद्योगिकी से चालित सार्वजनिक सेवा का एक उज्ज्वल उदाहरण है। इतने बड़े पैमाने पर टीका उत्पादन करते हुए, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है, भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। यह उन सबों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का क्षण है, जिन्होंने इसे संभव कर दिखाया है। बेहतर टीकाकरण और घटते संक्रमण से अस्पतालों में भर्ती और मृत्यु जैसे स्वास्थ्य संबंधी चरम परिणामों में काफी कमी आई है। इससे उपभोक्ता आत्मविश्वास को बल मिला है। त्योहारी उमंग और दमित माँग से भी अतिरिक्त बल मिलने से, कई उच्च-बारंबारता संकेतक यह इंगित कर रहे हैं कि आर्थिक बहाली कायम हो रही है।

ए. सतत संवृद्धि की तलाश

यद्यपि यह देखना सुखद है कि विनाशकारी दूसरी लहर के बाद, अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर धीरे-धीरे दुबारा खड़ी हो रही है, तथापि आर्थिक बहाली असमान तरीके से आगे बढ़ी रही है। संपर्क-गहन सेवाएं, हालिया समय में तेज सुधार के बावजूद, अब भी अपनी खोई हुई क्षमता वापस हासिल नहीं कर पाई हैं। 2021-22 की पहली तिमाही की जीडीपी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019-20 के कोविड-पूर्व स्तरों की तुलना में, निजी उपभोग और निवेश, दोनों में अब भी उल्लेखनीय अंतर बना हुआ है। इसलिए, हालांकि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, इसे व्यापक आधार वाली और गहरी होने से पहले, अभी बहुत अधिक जमीन नापनी है। यह निरंतर प्रोत्साहन की आवश्यकता की ओर इंगित करता है ताकि संवृद्धि महामारी-पूर्व रुझान तक लौट आए या इससे आगे बढ़ पाए।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि महामारी-पश्चात परिदृश्य में भारत के पास पर्याप्त ऊंची गति से संवृद्धि हासिल करने की क्षमता है। कई कारक भारत के पक्ष में खड़े हैं। पहला, उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत के पास सकारात्मक जनसांख्यिकी, बेहतर होते कौशल आधार और मजबूत घरेलू माँग के बूते बाकी दुनिया के समकक्ष खड़ा होने की उल्लेखनीय क्षमता है। दूसरा, सरकार उत्पादन बढ़ाने, आपूर्ति बाधाओं को दूर करने और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अन्य संस्थागत बदलावों के अलावा, खासकर पूँजीगत व्यय और अवसंरचना, विनिर्माण और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के माध्यम से सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। तीसरा, महामारी ने डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकी में विकास के नए अवसर खोल दिये हैं। साथ ही, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के रिसेट होने से भी नए अवसर खुले हैं क्योंकि यह भारत के हक में लाभदायक हो सकता है। चौथा, हाल के महीनों में निर्यात एक चमकदार बिन्दु रहा है और वैश्विक आर्थिक बहाली से इसे और फायदा हो सकता है। ऐसी सक्षमकारी स्थितियों और समर्थक नीतियों की मौजूदगी से, मुझे कोई संदेह नहीं है कि महामारी से उबरते हुए, हमारे पास अपनी संवृद्धि को

* 16 नवंबर, 2021 को 8वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकॉनामिक्स कॉनक्लेव, मुंबई में दिया गया उद्घाटन भाषण

तीव्र करने का विशिष्ट अवसर है। इन मुद्दों में से कुछेक मुद्दों पर मैं और विस्तार से बात करना चाहता हूँ।

निजी उपभोग – संवृद्धि की रीढ़

समग्र माँग के सबसे बड़े हिस्से (जीडीपी का लगभग 56 प्रतिशत) का योगदान करते हुए, निजी माँग हमारे देश की समावेशी, स्थायी और संतुलित संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। महामारी के दौरान समाज के निचले स्तरों पर रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों और कामगारों ने आय और रोजगार में बहुत अधिक नुकसान झेला है और इसकी भरपाई होने में समय लगेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) का अनुमान है कि 70 प्रतिशत से भी कम उभरती अर्थव्यवस्थाएँ 2022 के अंत तक भी 2019 के रोजगार-स्तरों को हासिल कर पाने में सक्षम हो पाएँगी। भारत में, मनरेगा[1] के अंतर्गत काम की माँग कोविड-पूर्व स्तर से करीब 10 मिलियन अधिक है, जो यह बताता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में बहाली को अभी काफी दूरी तय करनी होगी। अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए, खासकर अवसंरचना क्षेत्र में ठेके का न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने और इनको परियोजनाओं की अवधि से जोड़ देने से संभवतः रोजगार निश्चितता और उपभोग बढ़ेगा। छोटे कारोबारों पर भी भारी चोट पड़ी है और इससे उबरने तथा रोजगार की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी।

ऐसे संकेत हैं कि त्योहारी मौसम से उत्प्रेरित होकर उपभोग माँग जोरदार वापसी कर रही है। इससे फर्मों को अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों के बीच क्षमता में विस्तार करने और रोजगार तथा निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के सीमा शुल्क में और कई राज्य सरकारों द्वारा मूल्य-वर्धित कर (वैट) में की गई हालिया कटौती से लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ेगी, जो फिर अतिरिक्त उपभोग के लिए गुंजाइश पैदा करेगी। क्या हम अनुक्रिया के एक सुचक्र के मुहाने पर खड़े हैं जहां मांगों के उच्चतर संवेग और अनुकूल आपूर्ति कार्रवाई एक साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था की सतत संवृद्धि को सुनिश्चित करेंगे? इस मोर्चे पर आशान्वित बने रहने के कारण हैं।

निवेश को पुनर्जीवित करना

भारत की संवृद्धि की संभावना को फलीभूत करने के लिए निजी निवेश को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए हैं। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, कर-सुधार, 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए कार्यनिष्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना, सरकार द्वारा अवसंरचना विकास और आस्ति मौद्रिकरण पर बढ़ा हुआ फोकस, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा पहल और आरबीआई द्वारा अग्रसक्रिय चलनिधि उपाय शामिल हैं। उत्साहजनक यह है कि हालिया अवधि में निवेश गतिविधियों में प्रगति देखी गई है। पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात जैसे अग्रणी निवेश संकेतक सितंबर, 2021 में महामारी-पूर्व स्तर से ऊपर रहे हैं। 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए फर्मों के शुरुआती परिणाम, निविष्टि लागत दबावों के बावजूद मजबूत बिक्री और आघात-सह लाभप्रदता दर्शाते हैं। ऐसे रुझान आने वाली तिमाहियों में कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा क्षमता-विस्तार को बल प्रदान कर सकते हैं।

महामारी ने उत्पादन, प्रबंधन और अभिशासन की प्रणालियों में दूरगामी परिवर्तनों को उत्प्रेरित किया है। इस संकट ने रेखांकित किया है कि प्रौद्योगिकी काफी हद तक संसाधन के अंतर को पाट सकती है और यह समावेशी विकास का प्रमुख सक्षमकारक है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियां जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्वसंचालित वाहन, 3-डी प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा भंडारण और पदार्थ विज्ञान में विकास ने हमारे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को छुआ है। भविष्य डेटा-संचालित स्मार्ट विनिर्माण का है और व्यवसायों को जल्द से जल्द सही निवेश करने के लिए कमर कसने की जरूरत है। ज्ञान और कौशल उन्नयन में निवेश विनिर्माण क्षेत्र की कायापलट करनेवाली कुंजी है। औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए उद्योग और शिक्षा प्रणाली के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता है। कुल मिलाकर भौतिक और मानव पूँजी में निवेश का सही मिश्रण सतत विकास के युग की शुरुआत कर सकता है।

अगली पीढ़ी के फर्मों, या स्टार्ट-अप्स के प्रवेश से निवेशगत संभावना को बल मिलता है। भारत स्टार्ट-अप परिदृश्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में से एक देश के रूप में उभरा है जो नवोन्मेष और गतिशील उद्यमिता की अपार संभावना को प्रतिबिंबित करता

[1] महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

है। टेक स्टार्ट-अप में होने वाले निवेश का एक बड़ा हिस्सा महामारी के बाद खानपान की चीजों की डिलीवरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट-आधारित सेवाओं की माँग में अचानक तेजी के कारण हुआ है। एंजल टैक्स में छूट देकर स्टार्ट-अप विकास पर नीतिगत जोर और बेहतर अभिशासन उपायों से भी इस क्षेत्र को समर्थन प्राप्त हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि यदि दुर्लभ अर्थव्यवस्था के गतिशील क्षेत्रों के लिए संसाधनों का पुन: आबंटन किया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। हालांकि, भारत में कुल रोजगार का लगभग 56 प्रतिशत हिस्सा कृषि एवं विनिर्मान क्षेत्र से जुड़ा हुआ है फिर भी सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है। इस प्रकार कार्यबल का एक बड़ा तबका कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में फंस गया है जो हमारी विकास क्षमता को बाधित कर रहा है।

साथ ही, मजबूत बैलेंस शीट के साथ संगठित कॉर्पोरेट क्षेत्र उभरते क्षेत्रों में नया निवेश करने के लिए सुव्यवस्थित रुप से तैयार है। जैसे-जैसे माँग की बहाली होगी, मुझे आशा है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र निवेश चक्र को प्रारम्भ करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा जो उत्पादक निवेश के लिए अधिशेष चलनिधि समावेश करने की सुविधा प्रदान करेगा।

इस पृष्ठभूमि में विकास के अवसरों का उपयोग करने के लिए उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा संसाधनों के पुनर्वितरण करने की ज़िम्मेदारी एक प्रतिस्पर्धी एवं दक्ष वित्तीय प्रणाली की है।

सार्वजनिक व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका

कोविड -19 महामारी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, नवोन्मेष और डिजिटलीकरण सहित भौतिक और सामाजिक अवसंरचना पर खर्च करने की आवश्यकता को सुदृढ़ किया है जो न केवल कल्याण-संवर्धक है बल्कि विकास-उत्प्रेरक भी हैं। इसके अलावा, अच्छी गुणवत्ता वाले सार्वजनिक व्यय से निजी निवेश की मात्रा बढ़ती जा रही है और आपूर्ति की कठिन समस्याओं का निदान होता है। यह मुद्रास्फीति दबाव को भी कम कर सकता है।

विकास और कल्याण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम सार्वजनिक खर्च को और अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं? सर्वप्रथम, एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सार्वजनिक खर्च के विकास संवर्धक तत्वों को निश्चित रूप से संरक्षित और विकसित करना चाहिए। यदि हम सरकारी व्यय की गुणवत्ता के लिए कुछ मापनीय मानदंड विकसित करते हैं तो पूँजीगत व्यय पर नीतिगत जोर देते हुए निवेशोन्मुखी बहाली की दिशा में मौजूदा अभियान को और प्रोत्साहन मिल सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ के साथ गुणवत्ता लक्ष्यों को औपचारिक रूप से जोड़ने पर राजकोषीय नीति अधिक कुशल, प्रभावी और मानवोचित होगी। इस प्रकार के दृष्टिकोण से गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक वस्तुओं का स्थायी रूप से सुनिश्चित प्रावधान करने की एक चक्रीयतापक्षी प्रवृत्ति को समाहित किया जा सकता है। दूसरे, राज्यों में खर्च करने के व्यवहार में महत्वपूर्ण भिन्नता देखी गई है, जिसमें से कुछ राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण राज्य, अपने कम ऋण-जीएसडीपी अनुपातों के बावजूद और संरचनागत अंतर के बावजूद, अपनी पूरी संभावित क्षमता तक खर्च करने में संकोच करते देखे गए। राजकोषीय रूप से सुदृढ़ राज्य, वास्तव में सार्वजनिक आधारभूत ढांचे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय अभियान में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। यह न केवल उनकी अपनी संभाव्य विकास संभावनाओं को बढ़ावा देगा बल्कि अन्य राज्यों में सकारात्मक प्रसार के साथ अखिल भारतीय निवेश चक्र को भी आरंभ कर सकता है। तीसरा, मौजूदा योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करके और वास्तविक परिणामों के आधार पर उन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके या युक्तिसंगत बनाकर भी सीमित संसाधनों का अधिक कुशल आबंटन किया जा सकता है। आरंभ की गई किसी भी नई योजना की एक समापन तिथि निर्धारित होनी चाहिए, जो उसके परिणामों से सम्बद्ध हो ।

निर्यात को बढ़ावा

इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और कृषि उत्पादों जैसे भारतीय उत्पादों की मजबूत बाहरी माँग से प्रेरित होकर, भारत 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक निर्यात का कीर्तिमान हासिल करने के लिए तैयार है। शीर्ष दस निर्यात भागीदार देशों में से पिछले

वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2021 के दौरान आठ देशों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके बावजूद कई उभरते क्षेत्रों में निर्यात के महत्वपूर्ण अवसर बने हुए हैं। सबसे पहले, भारत को कृषि क्षेत्र का स्वाभाविक सहज लाभ प्राप्त है। पारंपरिक निर्यात वस्तुओं जैसे अनाज, चीनी और कपास के अलावा, कृषि निर्यात को नए क्षेत्रों में वैविध्यपूर्ण बनाया जा सकता है ताकि उपभोक्ताओं को बदलती प्राथमिकताओं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं से भी लाभ उठाया जा सके। दूसरा, जलवायु परिवर्तन की चिंताओं ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर केंद्रित कर दिया है। ईवी की बिक्री तेज गति से बढ़ रही है। इससे लिथियम और कोबाल्ट जैसी धातुओं की माँग बढ़ गई है जिनका उपयोग बैटरी में किया जाता है जो उनके भंडार से कहीं अधिक है। इसलिए, न केवल पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बल्कि इस क्षेत्र में विशाल निर्यात क्षमता का लाभ उठाने के लिए, विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से नई सामग्रियों के साथ ईवी बैटरी के पुनर्चक्रण और उत्पादन हेतु एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने का रणनीतिक महत्व है। तीसरा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में प्रक्षेपण वाहनों, उपग्रहों के लागत प्रभावी प्रक्षेपण, एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्यात अवसर मौजूद हैं जहां सार्वजनिक-निजी भागीदारी से भरपूर लाभ मिल सकता है।

वित्तीय क्षेत्र की भूमिका

आधुनिक समाज में संवृद्धि और विकास की इमारत एक जीवंत, आघात-सहनीय और सुसंचालित वित्तीय क्षेत्र की नींव पर बनी है। चूंकि अब हम महामारी से उबर रहे हैं, मैं वित्तीय क्षेत्र के सामर्थ्य और चुनौतियों पर प्रकाश डालूंगा।

भविष्य के लिए प्रतिरोधकों (बफर्स) का निर्माण

बैंक कोविड-19 के आघातों से उम्मीद से बेहतर तरीके से उबरे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार, एससीबी के जीएनपीए और पूँजी पर्याप्तता अनुपात में जून 2021 के मुक़ाबले सितंबर 2021 में और सुधार हुआ है। बैंक पूँजी जुटाने में भी विवेकपूर्ण रहे हैं। कई बैंकों के लाभप्रदता मैट्रिक्स भी कई सालों के उच्चतम स्तर पर हैं। आंकड़ों में यह सुधार आंशिक रूप से कोविड-19 के दौरान बैंकों को प्रदान की गई विनियामकीय राहत के साथ-साथ, सरकार द्वारा दी गई राजकोषीय गारंटी और वित्तीय सहायता को दर्शाते हैं। आने वाले समय में ऐसे जोखिम और चुनौतियाँ हैं जिन पर बैंकिंग प्रणाली को गंभीर आत्मनिरीक्षण और कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

सर्वप्रथम, कोविड-19 प्रकरण ने आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थाओं के लिए मौजूदा विवेकपूर्ण और विनियामकीय मानदंडों के कुछ पहलुओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए, एक असल ज़िंदगी का अनुभव प्रदान किया है। इस संकट से कुछ चिंताएँ फिर से उभरी हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संकट के दौरान बैंकों की पूँजी और प्रावधानीकरण बफर, उनकी पर्याप्तता और परिणामी उपयोगिता का सवाल हमारे सामने है। इसलिए मैं बैंकों से आग्रह करता हूं कि वे दूरदर्शी, वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के साथ अपनी पूँजी प्रबंधन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करें तथा उन्हें और बेहतर बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण यह कि ऋण देने वाली संस्थाओं को चाहिए कि वे सतत ज़िम्मेदारी के रूप में हानि अवशोषण क्षमता की परिकल्पना करें। यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक विवेकपूर्ण जोखिम लेने वाले व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे और अपनी पूँजी का कुशलतापूर्वक उपयोग करेंगे।

दूसरा, सुसंचालित, मजबूत और आघात-सहनीय वित्तीय संस्था के लिए सुशासन अत्यंत आवश्यक है। बैंकों को जनता से जमा राशि जुटाने का विशेषाधिकार प्राप्त है, जो उन पर अपने व्यवसाय को बहुत ही जिम्मेदार तरीके से संचालित करने का दायित्व भी डालता है। निदेशक मंडल उस विश्वास के संरक्षक होने की जिम्मेदारी निभाता है जो जमाकर्ताओं ने बैंक पर किया है। इसलिए, जमाकर्ताओं के प्रति बैंक की जिम्मेदारी को बैंक के शेयरधारकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी से तौला जाना चाहिए। सुशासन सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक को बोर्ड की निगरानी भूमिका, इसकी संरचना, निदेशकों की कौशल प्रोफ़ाइल, मजबूत जोखिम और अनुपालन संरचना और प्रक्रियाओं, अधिक पारदर्शिता और विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करने वाले एक मजबूत तंत्र से अत्यधिक उम्मीदें हैं। अत: व्यावसायिक प्राथमिकताओं के साथ-साथ, जिम्मेदार शासन और नैतिकता-युक्त कार्य की आवश्यकता है।

तीसरा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र 'बाजार का अनुसरण' दृष्टिकोण द्वारा संचालित होने के बजाय, उनके व्यावसायिक मॉडल और व्यावसायिक रणनीतियां सचेत होकर बनाई गई हों जिस पर बोर्ड स्तर पर एक मजबूत रणनीतिक चर्चा

हुई हो। विकास के अपने प्रयास में, बैंकों को झुंड की मानसिकता से बचना चाहिए और अलग-अलग व्यावसायिक रणनीतियों की तलाश करनी चाहिए। आरबीआई में, हमने बैंकों के व्यावसायिक मॉडल और रणनीतियों पर करीब से नज़र डालना शुरू कर दिया है। कुछ बैंकों ने केवल अपने निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक विषम प्राथमिकता के साथ उच्च जोखिम और उच्च रिटर्न व्यावसायिक रणनीति को अपनाया था। ऐसे में, विशेष रूप से प्रबंधन के प्रस्तावों को चुनौती देने में, बोर्ड की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे निर्णय लेने में अधिक सावधानीपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण रखने की दिशा में सहायता मिलेगी।

चौथा, एक और बड़ी चुनौती कोविड-19 से प्रभावित दबावग्रस्त उधारकर्ताओं से निपटने की होगी। कोविड-19 की दो लहरों के दौरान, रिज़र्व बैंक ने उधारकर्ताओं और बैंकों को राहत प्रदान करने के लिए समाधान ढांचा 1.0 और 2.0 की घोषणा की। समाधान ढांचा 1.0 के तहत पुनर्संरचित बड़े उधारकर्ता खातों के संबंध में समाधान 30 जून, 2021 तक लागू किया जाना था, तथापि उनके पास परिचालन मापदंडों को प्राप्त करने के लिए 30 सितंबर, 2022 तक का समय है। दूसरी ओर, व्यक्तियों, एमएसएमई और अन्य छोटे व्यवसायों के संबंध में 30 सितंबर, 2021 से पहले समाधान ढांचा 2.0 के तहत लागू किए गए प्रस्तावों को 31 दिसंबर, 2021 तक लागू किया जाना है। जैसे-जैसे प्रोत्साहनपरक उपायों को धीरे-धीरे कम किया जाता है, इनमें से पुनर्संरचित कुछ खातों को आने वाली तिमाहियों में ऋण शोधन क्षमता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विवेकसम्मत कार्रवाई में व्यावहारिक समाधान उपायों के लिए ऐसे गैर-अर्थक्षम फर्मों को तत्काल/ अग्रसक्रिय रूप से चिह्नित करना आवश्यक होगा।

पाँचवां, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वित्तीय सेवा उद्योग आज 'तकनीकी वर्चस्व' के बीच में है। वित्त के चल रहे डिजिटलीकरण ने कई मोर्चों पर सकारात्मक परिवर्तन पैदा किये हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि रिज़र्व बैंक फिनटेक के लिए विनियामकीय सैंडबॉक्स, सह-उधार मॉडल, एकाउंट एग्रीगेटर जैसे तंत्रों की परिकल्पना करके इस विविध विचार स्थल में नवाचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही हम यह उम्मीद करेंगे कि उधार देने वाली संस्थाएं इन तंत्रों का लाभ उठाकर समग्र ग्राहक अनुभव, उत्पाद अनुकूलन, वैकल्पिक ऋण मूल्यांकन पद्धतियों का अंगीकरण, निगरानी उपायों इत्यादि को उन्नत करेंगे। यहाँ सावधानी रखना उचित रहेगा: वैश्विक स्तर पर, 'फिजिटल' क्रांति ने बैंकों, एनबीएफसी और फिनटेक खिलाड़ियों जैसे इनक्यूबेशन, पूँजी निवेश, सह-निर्माण, वितरण और एकीकरण के बीच कई सहयोगी मॉडलों में भूमिका निभाई है। हालांकि उधारदाता इनमें से किसी भी मॉडल का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, विनियामकीय अपेक्षा यह है कि अंतिम टाई-अप निर्णय, मौजूदा विनियामकीय दिशानिर्देशों के अधीन अपनी आंतरिक नीतियों के संदर्भ में अपने स्वयं की वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता के अनुसार होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आंकड़ों की सुरक्षा, आंकड़ों की गोपनीयता और शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आउटसोर्सिंग दिशानिर्देश, उचित व्यवहार संहिता आदि जैसे विनियमों के संदर्भ में अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इसके अलावा, फिनटेक और बिगटेक संस्थाओं के साथ अनुबंधों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इसलिए, जैसा कि हम नवाचार की इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस बात को मान लेना चाहिए कि जोखिम अंततः बैंकों और एनबीएफसी की बहियों में ही परिलक्षित होगा और इसलिए सहयोग की योजना उचित रणनीतिक योजना बना कर की जानी चाहिए।

छठा, उधारदाताओं को कभी भी अपने अस्तित्व के आधार यानी 'ग्राहक' से नज़र नहीं हटानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत, और यहां तक कि पहले की लोकपाल योजनाओं के अंतर्गत, विनियमित संस्थाओं (बैंकों सहित) के पास 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों को ही आरबीआई लोकपाल द्वारा निपटाया जाता है। ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए तीस दिन एक बहुत ही उचित अवधि है। मैं बैंकों से आग्रह करता हूं कि वे अपने शिकायत निवारण तंत्र को सुधारने/मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दें और आवश्यक उपाय करें तथा ग्राहकों के हित में यह देखें कि आरबीआई लोकपाल के पास शिकायतें कम से कम पहुंचें। बैंकों को ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार भी सुनिश्चित करना चाहिए तथा कर्मचारियों और प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों को उचित ढंग से संवेदनशील करते हुए, अनुचित बिक्री को टाला जाना चाहिए। ग्राहक को बेचा गया उत्पाद उसके लिए उपयुक्त और उसके जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुकूल होना चाहिए।

निष्कर्ष

जैसा कि हम महामारी के बाद विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में सही स्थान एक मजबूत, स्थिर और लचीली वित्तीय प्रणाली पर निर्मित होगा। बैंक और एनबीएफसी हमारी अर्थव्यवस्था के पावर इंजन हैं, इस नाते परिवर्तनकारी यात्रा में तेजी लाने के लिए उन्हें निरंतर कायांतरण से गुजरना होगा। मैं यहां उपस्थित वरिष्ठ बैंकरों को उनके संबंधित संस्थानों में इस पूरे परिवर्तन को उत्प्रेरित करने वाले परिवर्तन एजेंट के रूप में देखना चाहता हूं।

आगामी फलदायी और सार्थक विचार-विमर्शों के लिए मेरी शुभकामनाएं!

धन्यवाद। स्वस्थ रहें। नमस्कार!